

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 23-11-2024

विषय सूची

भारत में समाजवाद का अर्थ कल्याणकारी राज्य है: CJI

भारत-अमेरिका संबंधों का आधार सुदृढ़ है।

भारत-चीन की स्थिति

कोकिंग कोयले के आयात पर निर्भरता कम करना

दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024

विश्व बैंक का “रोजगार आपके द्वार” अध्ययन

संक्षिप्त समाचार

डिम्बग्रंथि कैंसर (Ovarian cancer) पर अध्ययन

स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन

बांदीपुर टाइगर रिजर्व

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT)

रेजांग देवा (Rejang Dewa), न्गुसाबा गोरेंग (Ngusaba Goreng) उत्सव का भाग

प्रोजेक्ट वीर गाथा (Project Veer Gatha)

अर्जेटीना पेरिस समझौते से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है

अष्टमुडी झील (Ashtamudi Lake)

भारत में समाजवाद का अर्थ कल्याणकारी राज्य है: CJI

संदर्भ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को संबोधित किया।

मुख्य विशेषताएं

- मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि भारत में "समाजवाद" का विचार एक कल्याणकारी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, और निजी क्षेत्र की भागीदारी से मना नहीं करता है।
- उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन के अधीन है।
- उन्होंने यह भी कहा कि 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्षता' दोनों संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता।
 - उन्होंने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि ये शर्तें अलोकतांत्रिक थीं, यह इंगित करते हुए कि वे एक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने के लिए थीं।

समाजवाद क्या है?

- समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो सामाजिक एवं आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व तथा समान वितरण का समर्थन करता है।
- यह राज्य के हस्तक्षेप, सार्वजनिक स्वामित्व और कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से धन एवं अवसरों में असमानताओं को कम करने पर बल देता है।

भारत में समाजवाद का विकास

- भारत में समाजवाद की उत्पत्ति स्वतंत्रता आंदोलन में हुई, जहां जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने समान विकास के लिए राज्य-संचालित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया।
- 1976 में 42वें संशोधन के बाद संविधान ने अपनी प्रस्तावना के माध्यम से "समाजवादी" आदर्शों को प्रतिष्ठित किया।

भारत में विकास

- **नेहरूवादी मॉडल:** राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण और नियोजित आर्थिक विकास को अपनाना, जिसका उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की स्थापना है।
- **भूमि सुधार:** सामंती असमानताओं को दूर करने के लिए भूमि का पुनर्वितरण।
- **सामाजिक न्याय आंदोलन:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का अधिनियमन।

भारत में समाजवाद की चुनौतियाँ

- **आर्थिक असमानताएँ:** पुनर्वितरण प्रयासों के बावजूद धन का संकेंद्रण बना रहता है, जिससे असमानताएँ बढ़ती हैं।
- **नौकरशाही अक्षमताएँ:** सार्वजनिक क्षेत्र अधिकतर अक्षमता और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, जिससे कल्याणकारी उद्देश्य कमजोर हो रहे हैं।
- **नीतिगत बदलाव:** 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने समाजवादी आदर्शों को कमजोर करते हुए बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर एक क्रमिक परिवर्तन को चिह्नित किया।
- **वैश्वीकरण और निजीकरण:** इन क्षमताओं ने आय असमानताओं को बढ़ाया है और राज्य के कल्याण अभिविन्यास को चुनौती दी है।
- **संसाधन की कमी:** सीमित राजकोषीय संसाधन सरकार की सार्वभौमिक कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने की क्षमता को बाधित करते हैं।

समाजवाद की समकालीन प्रासंगिकता

- **सामाजिक सुरक्षा:** मनरेगा और पीएम-किसान जैसे कार्यक्रम कमजोर वर्गों का समर्थन करके समाजवादी लोकाचार को कायम रखते हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा:** आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) जैसी पहल का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है।
- **जलवायु न्याय:** समाजवाद अब पर्यावरण संबंधी चिंताओं से जुड़ गया है, प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुंच और सतत विकास करता का समर्थन करता है।
 - विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता करने के लिए हरित जलवायु कोष जैसी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हैं।
- **तकनीकी समानता:** डिजिटल विभाजन के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो डिजिटल साक्षरता और सभी के लिए पहुंच को बढ़ावा दें।

आगे की राह

- हाशिये पर पड़ी जनसंख्याकी सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करें।
- पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता में सुधार करें।
- यहां तक कि पुनर्वितरणात्मक न्याय के साथ बाजार सुधारों को संतुलित करके विकास को बढ़ावा देना।
- सहभागी शासन को अपनाएं, यह सुनिश्चित करें कि नीति निर्माण में नागरिकों की आवाज हो।

निष्कर्ष

- भारत में समाजवाद समानता, न्याय और सम्मान की सामूहिक आकांक्षा को दर्शाता है।
- हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, यह एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करना जारी रखता है।

Source: [TH](#)

भारत-अमेरिका संबंधों का आधार सुदृढ़ है

संदर्भ

- व्हाइट हाउस ने हाल ही में भारत-अमेरिका की मजबूत नींव की पुष्टि की। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोपों के विवाद के बीच द्विपक्षीय संबंध।

भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन

- भारत की आजादी के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों ने भारत के परमाणु कार्यक्रम पर शीत युद्ध के दौर के अविश्वास और अलगाव को समाप्त कर दिया है।
 - हाल के वर्षों में संबंधों में गर्मजोशी आई है और कई आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हुआ है।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** 2017-18 और 2022-23 के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 72 प्रतिशत बढ़ गया है।
 - 2021-22 के दौरान भारत में सकल FDI प्रवाह में अमेरिका का योगदान 18 प्रतिशत रहा, जो सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर है।
 - कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए वस्तुओं और सेवाओं में 190.1 बिलियन डॉलर के समग्र द्विपक्षीय व्यापार के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** भारत और अमेरिका ने गहरे सैन्य सहयोग के लिए "बुनियादी समझौते" की एक तिकड़ी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी शुरुआत 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) से हुई, जिसके बाद पहले के बाद संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA) हुआ। 2018 में 2+2 संवाद और फिर 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)।
 - 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में पदोन्नत किया।
- **अंतरिक्ष:** भारत द्वारा हस्ताक्षरित आर्टेमिस समझौते ने सभी मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण स्थापित किया।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, G20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संगठनों तथा मंचों पर निकटता से सहयोग करते हैं।
 - ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत एक स्वतंत्र एवं खुले इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए क्वाड, एक राजनयिक नेटवर्क के रूप में सहमत हैं।
- **परमाणु सहयोग:** 2005 में नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, समझौते के तहत, भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने एवं अपने सभी नागरिक संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के तहत रखने पर सहमत हुआ।
 - बदले में, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत है।
- **नई पहल:** दोनों देशों के संबंधों में क्रांति लाने के लिए भारत में जेट इंजन बनाने के लिए GE-HAL डील और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) पर पहल जैसी कई नई पहल की घोषणा की गई है।

संबंधों में मतभेद

- **सीमित उपयोगिता:** इंडो-पैसिफिक संघर्ष, जैसे चीनी आक्रमण या ताइवान की नौसैनिक नाकाबंदी में अमेरिका के लिए भारत की उपयोगिता सीमित होने की संभावना है।
 - ताइवान की रक्षा में अमेरिकी सैन्य भागीदारी की स्थिति में, भारत संभवतः ऐसे अमेरिकी-चीन संघर्ष में उलझने से बच जाएगा।
- **अमेरिका रूस के विरुद्ध अपने सहयोगियों से अधिक एकजुटता चाहता है:** अमेरिका और पश्चिम भारत को युद्ध के बीच रूस से अधिक तेल खरीदने का अवसरवादी मानते हैं।
- **रूस के साथ रक्षा संबंध:** अमेरिका भारत द्वारा S-400 वायु रक्षा प्रणाली जैसे हथियारों के अधिग्रहण को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे रूसी शक्ति मजबूत होती है।
- **व्यापार संरक्षणवाद:** भारत के उच्च टैरिफ और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अमेरिका का जोर व्यापार संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है।
- **मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मानदंड:** अमेरिका ने भारत की प्रेस स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

भारत के लिए चिंता

- **आर्थिक स्थिरता:** अडानी विवाद जैसे मुद्दे भारत के कॉर्पोरेट प्रशासन में कमजोरियों को उजागर करते हैं जो अमेरिकी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष ने अमेरिका का ध्यान चीन से दूर कर दिया है, और इसलिए, भारत एवं अमेरिका के बीच रणनीतिक अभिसरण को काफी हद तक कम करने में योगदान दिया है।
- इसके अतिरिक्त, मध्य पूर्व में युद्ध ने अमेरिका का ध्यान भटका दिया है और सामान्य तौर पर इंडो-पैसिफिक और विशेष रूप से भारत को उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।

निष्कर्ष

- भारत-अमेरिका संबंध बहुआयामी हैं, जो सहयोग और मतभेद दोनों से चिह्नित हैं।
- हालाँकि, वैश्विक चुनौतियों से निपटने में रणनीतिक अभिसरण इस साझेदारी के लचीलेपन को रेखांकित करता है।

Source: [TH](#)

भारत-चीन की स्थिति

संदर्भ

- हाल के घटनाक्रमों ने चीन और भारत के बीच संबंधों में नाजुक संतुलन बनाए रखने की कोशिश को उजागर किया है जो जटिल एवं बहुआयामी है, जो दोनों देशों द्वारा सहयोग तथा संघर्ष से चिह्नित है।

ऐतिहासिक संदर्भ

- चीन-भारत संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, मुख्यतः सीमा विवादों के कारण।

- सबसे उल्लेखनीय संघर्ष 1962 में हुआ था, और तब से समय-समय पर तनाव बढ़ता रहा है, हाल ही में 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए।
- तब से, दोनों देशों ने स्थिति को कम करने के लिए कई दौर की राजनयिक और सैन्य वार्ता की है, लेकिन सीमित सफलता मिली है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)

- LAC वह सीमा है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है।
- भारत LAC को 3,488 किमी लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे लगभग 2,000 किमी ही मानते हैं।
- इसे तीन सेक्टरों में बांटा गया है:
 - पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है;
 - उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र, और;
 - लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र।
- अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले पूर्वी क्षेत्र में LAC को मैकमोहन रेखा कहा जाता है जो 1,140 किमी लंबी है।



भारत-चीन सीमा पर प्रमुख घर्षण बिंदु

- **देपसांग मैदान:** यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और यहां अतीत में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ देखी गई है।
- **डेमचोक:** यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है और यहां भारत एवं चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद देखने को मिला है।
- **पैगोंग झील:** यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख टकराव का बिंदु रहा है, चीनी सैनिक इस क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं।
- **गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स:** ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं और हाल के वर्षों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध देखा गया है।
- **अरुणाचल प्रदेश:** इस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पर चीन अपने क्षेत्र का दावा करता है और यह दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है।

LAC पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा से किस प्रकार भिन्न है?

- LoC 1948 में कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा बातचीत की गई युद्धविराम रेखा से उभरी थी।
- दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद 1972 में इसे LoC के रूप में नामित किया गया था। इसे दोनों सेनाओं के DGMOs द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर रेखांकित किया गया है और इसमें कानूनी समझौते की अंतरराष्ट्रीय पवित्रता है।
- LAC, केवल एक अवधारणा है और इस पर दोनों देश सहमत नहीं हैं, न तो इसे मानचित्र पर चित्रित

किया गया है तथा न ही जमीन पर इसका सीमांकन किया गया है।

हालिया कूटनीतिक व्यस्तताएँ

- रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की हालिया बैठक, पांच वर्षों में उनकी पहली द्विपक्षीय वार्ता है।
- दोनों नेताओं ने LAC पर शांति बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और अपनी बातचीत में आपसी विश्वास, सम्मान एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।
- जैसा कि बताया गया है, हालिया समझौते में लद्दाख के डेपसांग मैदानों और डेमचोक में गश्त के अधिकारों की बहाली शामिल है, जो कि वर्तमान संघर्ष में फ्लैशप्वाइंट रहे हैं।
- इसे 2020 से पहले की स्थिति पुनर्स्थापित करने की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश सहित LAC के साथ अन्य क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं।

महत्व

- **सीमा स्थिरता:** भारत-चीन सीमा पर स्थिति एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। हालिया कूटनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद, सीमा की स्थिति को 'सामान्यतः स्थिर' बताया गया है लेकिन फिर भी सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता है।
 - दोनों देश सीमा मुद्दे को 'उचित स्थिति' में रखने और इसके 'सामान्यीकृत प्रबंधन' में परिवर्तन को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
- **आर्थिक और रणनीतिक हित:** सीमा विवादों से परे, चीन एवं भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक हित हैं जिनके लिए सहयोग की आवश्यकता है।
 - दोनों देश ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के प्रमुख सदस्य हैं और उनका सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
 - यह भारत के लिए कूटनीतिक स्थान प्रशस्त करता है क्योंकि यह रूस और पश्चिम सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाता है।
- **राजनीतिक जुड़ाव:** शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के मौके पर भारतीय प्रधान मंत्री एवं चीनी राष्ट्रपति के बीच एक संभावित बैठक इस समझौते को अधिक सुदृढ़ कर सकती है और भविष्य की राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा तैयार कर सकती है।

आगे की चुनौतियां

- **कार्यान्वयन:** विघटन प्रक्रिया के बाद डी-एस्केलेशन और डी-इंडक्शन किया जाना चाहिए, जो एक धीमी एवं जटिल प्रक्रिया होगी जिसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होगी।
- **विश्वास की कमी:** भारत और चीन के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण विश्वास की कमी के कारण खराब हो गए हैं। विश्वास कायम करना और समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
- **व्यापक मुद्दे:** सीमा मुद्दा जटिल भारत-चीन संबंधों का सिर्फ एक पहलू है। स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सहित व्यापक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

- 1980 के दशक से, भारत और चीन अपने सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की मांग करते रहे हैं। नेताओं के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, जैसे कि वुहान (2018) एवं चेन्नई (2019) में, रणनीतिक संचार और सहयोग पर बल दिया गया।
- अनसुलझा सीमा मुद्दा विवाद का मुद्दा बना हुआ है, जिससे कभी-कभी तनाव उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- गश्त के अधिकारों को पुनर्स्थापित करने और सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत-चीन समझौता गतिरोध को तोड़ने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
- यह भारत के राजनयिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के धैर्य और दृढ़ता को दर्शाता है।
- हालांकि हालिया कूटनीतिक प्रयासों ने वादा दिखाया है, स्थिर और सहयोगात्मक रिश्ते की राह के लिए निरंतर बातचीत, आपसी सम्मान एवं लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

[Source: IE](#)

कोकिंग कोयले के आयात पर निर्भरता कम करना

संदर्भ

- नीति आयोग ने 'कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाना' रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख निष्कर्ष

- कोकिंग कोल के संसाधन:** 2023 तक, भारत के प्राइम कोकिंग कोल और मीडियम कोकिंग कोल के सिद्ध भूवैज्ञानिक संसाधन क्रमशः 5.13 BT और 16.5 BT होने का अनुमान है।
- आयात:** पिछले पांच वर्षों के दौरान, कोकिंग कोयले का आयात भारत में आयातित कुल कोयले का 22 - 27% था।
 - भारत में कोकिंग कोयले के आयात का कुल मूल्य रु. वित्त वर्ष 2021-22 में पहली बार 1 ट्रिलियन।
 - ऑस्ट्रेलिया ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के कोकिंग कोयले के आयात का 54% आपूर्ति की।
- अस्थिर कीमतें:** कुछ देशों (मुख्य रूप से, ऑस्ट्रेलिया) के प्रभुत्व के कारण कोकिंग कोयले की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं।
- इस्पात उत्पादन की लागत में हिस्सेदारी:** भारत में उत्पादित इस्पात की लागत में कोकिंग कोयले का हिस्सा लगभग 42% है, इस्पात मंत्रालय आयात स्रोतों में विविधता लाकर कोकिंग कोयले पर आयात बिल को कम करने का प्रयास कर रहा है।
- महत्वपूर्ण खनिज:** नीति आयोग भारत के तेजी से बढ़ते इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए घरेलू धातुकर्म कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोकिंग कोयले को भारत के लिए 'महत्वपूर्ण खनिज' घोषित करने के लिए सरकार को मना सकता है।

भारत के लिए कोकिंग कोल का महत्व

- कोकिंग कोयला, जिसे धातुकर्म कोयला या "मेट कोयला" के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का कोयला है जिसका उपयोग इस्पात निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है।
- यह कोक के उत्पादन में आवश्यक है, जो इस्पात निर्माण प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक है।
- स्टील बनाने के लिए उपयुक्त होने के लिए कोकिंग कोयले में विशिष्ट गुण जैसे उच्च कार्बन सामग्री, कम सल्फर और फास्फोरस सामग्री एवं मजबूत कोकिंग गुण होने चाहिए।

चुनौतियां

- आयात निर्भरता:** भारत कोकिंग कोयले के विश्व के सबसे बड़े आयातकों में से एक बना हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, मोज़ाम्बिक और रूस जैसे देशों से आयात करता है।
- स्टील मिलों से उच्च मांग:** आयात में वृद्धि भारत की स्टील मिलों की मजबूत मांग से प्रेरित है, जो कोकिंग कोयले के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, जो स्टील बनाने में एक प्रमुख कच्चा माल है।
- कोकिंग कोयले की कमी:** भारतीय इस्पात कंपनियां, जो वार्षिक लगभग 70 मिलियन मीट्रिक टन कोकिंग कोयले की खपत करती हैं, कमी और ऊंची कीमतों का सामना कर रही हैं।

कदम

- भारत अपने कोकिंग कोयला आयात बिल को कम करने के प्रयासों के तहत, कोकिंग कोयला उत्पादन में 20% वृद्धि का लक्ष्य रख रहा है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2015 में 80 मिलियन टन (mt) है, जो पिछले वर्ष 66.55 मिलियन टन से अधिक है।
- सरकार ने 2030 तक भारत में घरेलू कोकिंग कोयले के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप सुझाने के लिए अगस्त, 2021 में 'मिशन कोकिंग कोल' लॉन्च किया है।

सुझाव और आगे की राह

- कोकिंग कोयला भारत के इस्पात उद्योग एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। घरेलू उत्पादन में चुनौतियों का समाधान करना और रणनीतिक नीति में बदलाव एवं सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से आयात निर्भरता को कम करना कोकिंग कोयला सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा देश के औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- सरकार को घरेलू कोकिंग कोयला उत्पादन बढ़ाने, भारत के इस्पात क्षेत्र के लिए आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश के आयात बिल को कम करने के लिए एक विशेष छूट प्रदान करनी चाहिए।
- 2070 तक नेट ज़ीरो के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, धातुकर्म उद्देश्यों के लिए भारत में मध्यम कोकिंग कोयले (16.5 BT) के उपलब्ध भंडार का पूरी तरह से उपयोग करके देश के हितों की बेहतर सेवा की जाएगी।

महत्वपूर्ण खनिज(Critical Minerals) क्या हैं?

- महत्वपूर्ण खनिज ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण खंड हैं, और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा है।
- इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता संभावित रूप से "आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियों और यहां तक कि आपूर्ति में व्यवधान" का कारण बन सकती है।

Source: IE

दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024

संदर्भ

- दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।
 - यह नए जारी दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत जारी किए जाने वाले नियमों का पहला समुच्चय है।

प्रमुख प्रावधान

- उद्देश्य:** दूरसंचार कंपनियों के लिए सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने और खुलासे करने के लिए निर्दिष्ट समयसीमा सहित उपायों के माध्यम से भारत के संचार नेटवर्क एवं सेवाओं की सुरक्षा करना।
 - एक दूरसंचार इकाई में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाला या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होगा, जिसमें प्राधिकरण रखने वाली अधिकृत इकाई भी शामिल होगी।
- केंद्र सरकार तक डेटा की पहुंच:** नियम केंद्र सरकार/उसकी अधिकृत एजेंसी को साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी दूरसंचार इकाई से ट्रैफिक डेटा और कोई अन्य डेटा (संदेशों की सामग्री के अतिरिक्त) मांगने का अधिकार देते हैं।
- साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग:** इसने दूरसंचार कंपनियों को जागरूक होने के छह घंटे के अंदर सरकार को साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने और 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त विवरण देने का आदेश दिया है।
- मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी:** दूरसंचार कंपनियों को एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है, जो भारत का नागरिक और निवासी हो।
 - अधिकारी नियमों के कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार इकाई की ओर से केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- साइबर सुरक्षा नीति:** दूरसंचार ऑपरेटरों को एक दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति अपनाने की भी आवश्यकता होती है, जिसमें सुरक्षा उपाय, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्रवाई, प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय उपकरण के लिए पूर्व पंजीकरण:** उपकरण के निर्माता जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (IMEI) नंबर है, उसे ऐसे पहले उपकरण की बिक्री से पहले भारत में निर्मित ऐसे उपकरणों की संख्या को सरकार के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र

- 1.20 बिलियन के कुल टेलीफोन ग्राहक आधार के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है।
- कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
- दूरसंचार क्षेत्र FDI प्रवाह के मामले में चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कुल FDI प्रवाह में 6% का योगदान देता है।

- **उद्योग के विकास के कारण:** भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में विकास को बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में 5G नेटवर्क की मांग, सरकारी नीतियां और सेवाओं की सापेक्ष सामर्थ्य के अतिरिक्त नए विनियमन शामिल हैं।

सेक्टर के समक्ष चुनौतियाँ

- **नियामक ढांचा:** नियमों, स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और सरकारी नीतियों में बदलाव दूरसंचार कंपनियों के संचालन एवं निवेश को प्रभावित करते हैं।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, दूरसंचार बुनियादी ढांचे में अभी भी कमियां हैं, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
 - कठिन क्षेत्रों, बिजली की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे कारकों के कारण इन क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का विस्तार करना एक चुनौती बनी हुई है।
- **प्रतिस्पर्धा और मूल्य निर्धारण:** दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा ने मूल्य युद्ध और मार्जिन दबाव को जन्म दिया है।
 - हालांकि इससे उपभोक्ताओं को कम टैरिफ का लाभ मिलता है, लेकिन यह दूरसंचार कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य पर दबाव डालता है।
- **सेवा की गुणवत्ता:** सेवा की निरंतर गुणवत्ता बनाए रखना, विशेष रूप से घनी जनसँख्या वाले शहरी क्षेत्रों में, दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए एक चुनौती है।
 - कॉल ड्रॉप, नेटवर्क कंजेशन और धीमी इंटरनेट स्पीड जैसी समस्याएं ग्राहकों में असंतोष उत्पन्न करती हैं।
- **साइबर सुरक्षा:** सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, दूरसंचार कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है।
 - उन्हें अपने नेटवर्क, ग्राहक डेटा और बुनियादी ढांचे को साइबर खतरों और हमलों से बचाना होगा।
- **तकनीकी प्रगति:** 5G परिनियोजन जैसी तीव्र तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे और उन्नयन में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।
 - दूरसंचार कंपनियों को इन निवेशों को राजस्व सृजन और लाभप्रदता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।

दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल:

- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:** 2015 में लॉन्च किया गया, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
 - इसमें सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और डिजिटल साक्षरता में सुधार करने की पहल शामिल है।
- **भारतनेट(BharatNet):** यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** सरकार इस क्षेत्र के विकास को समर्थन देने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, मोबाइल टावर एवं ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रही है।
- **आत्मनिर्भर भारत पहल:** सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू दूरसंचार उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार उपकरणों तथा घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर बल दिया है।
- **व्यापार करने में आसानी सुधार:** सरकार ने भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, कागजी कार्य को कम करना तथा सेवाओं को डिजिटल बनाना शामिल है।

आगे की राह

- ऑपरेटरों से 5G कवरेज का विस्तार करने और बुनियादी ढांचे में निवेश करने की उम्मीद की जाती है, जिससे नए उपकरणों एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
- स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और डेटा की खपत डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं सेवाओं की मांग को बढ़ा रही है।
- दूरसंचार क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, और जैसे-जैसे इसकी सेवाओं का विस्तार होता है, साइबर सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
- उभरते खतरों को संबोधित करना, नई प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित करना और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: TH

विश्व बैंक का "रोजगार आपके द्वार" अध्ययन

समाचार में

केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा विश्व बैंक के "रोजगार आपके द्वार" अध्ययन।

अध्ययन के बारे में

- इसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में कौशल शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों की जांच की गई।
- इसने स्कूल-टू-वर्क मार्गों के लिए उच्च मांग वाली रोजगार देने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की।

फोकस क्षेत्र:

- इसमें कौशल शिक्षा को बढ़ाने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- यह बताता है कि स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर कौन से कौशल प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- इसने कौशल शिक्षा के परिणामों को बढ़ाने के तरीकों की खोज की, जिसमें रोजगारों, स्व-रोज़गार और आगे की शिक्षा या कौशल के रास्ते शामिल हैं।

प्रमुख क्षेत्र निष्कर्ष:

- **सेवा क्षेत्र:** खुदरा, आईटी, बैंकिंग और अन्य सेवा क्षेत्रों में प्रमुख अवसर, जिनमें बहु-कौशल प्रदर्शन एवं रोजगार योग्यता कौशल की आवश्यकता होती है।
- **कृषि क्षेत्र:** कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए स्कूल-आधारित कौशल के महत्वपूर्ण अवसर।
 - रोजगार सृजन के लिए बागवानी, डेयरी फार्मिंग, पशुधन स्वास्थ्य और जलीय कृषि जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई।
- **खनन क्षेत्र:** खतरनाक कार्य स्थितियों और अकुशल श्रम की मांग के कारण सीमित रोजगार के अवसर।
- **विनिर्माण क्षेत्र:** MSMEs और बड़े उद्योग दोनों मध्यम स्तर के अवसर प्रदान करते हैं। MSMEs बहु-कुशल श्रमिकों की तलाश करते हैं, जबकि बड़े उद्योग उचित प्रमाणपत्र (जैसे, ITI समकक्ष) वाले कुशल श्रमिकों को पसंद करते हैं।

सिफारिशें:

- **कौशल शिक्षा के लिए:** कौशल केंद्र बनाएं और कौशल शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करें।
 - व्यापक-आधारित व्यापारों और स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं को लक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करें।
 - तकनीकी कौशल के साथ-साथ रोजगार योग्यता कौशल (सॉफ्ट स्किल) पर ध्यान दें।
 - व्यावहारिक शिक्षण और प्रयोगात्मक शिक्षाशास्त्र को बढ़ाएं।
 - पाठ्यक्रम विकास और उद्योग प्रदर्शन के लिए उद्योग साझेदारी बनाएं।
 - व्यावहारिक, व्यावहारिक कौशल का परीक्षण करने के लिए आकलन को मजबूत करें।
- **क्षेत्र-विशिष्ट सिफारिशें: कृषि:** स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम को अनुकूलित करें; कृषि उत्पादकता और कृषि विज्ञान पर ध्यान दें।
- **विनिर्माण:** अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर फोकस बढ़ाएं।
- **सरकारी भूमिका:** राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बागवानी, डेयरी फार्मिंग और जलीय कृषि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Source:TH

समाचार में तथ्य

डिम्बग्रंथि कैंसर(Ovarian cancer) पर अध्ययन

समाचार में

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि कैंसर कोशिकाएं अपने सूक्ष्म पर्यावरण की भौतिक और जैव रासायनिक विशेषताओं के आधार पर अपने प्रवासन पैटर्न को अनुकूलित करती हैं।

डिम्बग्रंथि कैंसर के बारे में

- यह बीमारियों का एक समूह है जो अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या पेरिटोनियम में उत्पन्न होता है।
- यह एक गंभीर बीमारी है जो अंडाशय में असामान्य कोशिका वृद्धि से चिह्नित होती है, जिसमें प्रायः सूक्ष्म या गैर-विशिष्ट लक्षण होते हैं जो शुरुआती निदान को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।
- यह सबसे घातक स्त्री रोग संबंधी कैंसरों में से एक है, जिसका सामान्यतः उन्नत चरणों में निदान किया जाता है, जिससे उपचार जटिल हो जाता है और जीवित रहने की दर कम हो जाती है।
- **कारण:** आनुवंशिक, प्रजनन और हार्मोनल कारक इसके विकास में योगदान करते हैं, जो प्रभावी जोखिम मूल्यांकन और स्क्रीनिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
- **डिम्बग्रंथि कैंसर के प्रकार: एपिथेलियल डिम्बग्रंथि कैंसर:** 95% से अधिक डिम्बग्रंथि कैंसर के लिए जिम्मेदार है।
 - **नॉनपिथेलियल ओवेरियन कैंसर:** लगभग 5% होता है, जिसमें जर्म सेल, सेक्स-कोर्ड स्ट्रोमल और छोटे सेल कैंसर शामिल हैं।
 - **हिस्टोलॉजिकल उपप्रकार:** एपिथेलियल कैंसर को आगे उच्च-ग्रेड सीरस, निम्न-ग्रेड सीरस, क्लियर सेल, एंडोमेट्रियोइड और म्यूसिनस उपप्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, प्रत्येक को अलग-अलग निदान, प्रबंधन एवं रोगी परिणाम पर विचार किया जाता है।

हालिया अध्ययन के निष्कर्ष

- इसे बायोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया था और नरम एवं कठोर सतहों पर दो प्रकार के डिम्बग्रंथि कैंसर कोशिकाओं, OVCAR-3 (बहुभुज आकार) और SK-OV-3 (लम्बी स्पिंडल आकार) की जांच की गई थी।
 - नरम सतहों पर, दोनों प्रकार की कोशिकाएँ धीरे-धीरे और बेतरतीब ढंग से चलती थीं।
 - कठोर सतहों पर, OVCAR-3 कोशिकाएँ अपेक्षा से अधिक प्रवासी थीं, जो एक अद्वितीय "स्लिप" आंदोलन पैटर्न प्रदर्शित कर रही थीं, जहां उनकी दिशा उनके आकार के साथ कम समन्वित हो गई थी।
 - अध्ययन कैंसर मेटास्टेसिस को चलाने वाले तंत्र पर प्रकाश डालता है।

Source: TH

स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन

समाचार में

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA) ने सीमा पार लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन के बारे में

- यह भारतीय रुपया (INR) और मालदीवियन रूफिया (MVR) के उपयोग को प्रोत्साहित करता है:
 - चालू खाता लेनदेन।
 - अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन।
 - दोनों देशों द्वारा सहमत अन्य आर्थिक या वित्तीय लेनदेन।
- **लाभ:** निर्यातक और आयातक अपनी-अपनी घरेलू मुद्राओं (INR और MVR) में भुगतान का चालान और निपटान कर सकते हैं।
- विदेशी मुद्रा बाजार में INR-MVR जोड़ी के व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
- **अपेक्षित परिणाम:** अनुकूलित लेनदेन लागत और कम निपटान समय।
 - RBI और MMA के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया।
 - व्यापार और वित्तीय एकीकरण को बढ़ाया, भारत एवं मालदीव के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया।

Source: TH

बांदीपुर टाइगर रिजर्व

कर्नाटक वन विभाग ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में स्थित बेलदकुप्पे श्री महादेश्वरस्वामी मंदिर के वार्षिक जात्रा (धार्मिक मेले) पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में

- **स्थान:** यह कर्नाटक में स्थित है। यह भारत के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक में स्थित है, जो "5B पश्चिमी घाट पर्वत जैव भूगोल क्षेत्र" के अंतर्गत आता है।
- **सीमा क्षेत्र:** यह दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, दक्षिण-पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर-पश्चिम में काबिनी जलाशय से घिरा है, जो इसे नागरहोल टाइगर रिजर्व से अलग करता है।
 - उत्तर की ओर, रिजर्व गांवों और कृषि भूमि सहित मानव-प्रभावित परिदृश्यों से घिरा हुआ है।
- **जैव विविधता:** बांदीपुर नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व (5,520 वर्ग किमी) का हिस्सा है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत अधिसूचित किया गया था।
 - बांदीपुर परिदृश्य को भारत के मेगा जैव विविधता क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जो वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का समर्थन करता है।
 - बाघ और हाथी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए प्रमुख प्रजातियाँ हैं, जो पूरे जीवमंडल के लिए प्रमुख और छत्र प्रजाति के रूप में कार्य करते हैं।

Source :TH

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT)

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कम्पनियों को मोबाइल टावरों और प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग (PFBs) जैसे बाह्य उपकरणों की स्थापना के लिए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT) क्रेडिट का दावा करने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए वे उत्पाद शुल्क का भुगतान करती हैं।

परिचय

- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मोबाइल टावर और प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग (PFBs) या शेल्टर सेनवैट नियम, 2004 के तहत 'पूंजीगत सामान' या 'इनपुट' की परिभाषा में आते हैं।
- पूंजीगत सामान मूर्त संपत्तियां हैं जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया में उनका उपभोग नहीं किया जाता है। वे सामान्यतः लंबी अवधि में उपयोग किए जाते हैं और कर योग्य आउटपुट की डिलीवरी में सहायता करते हैं।

CENVAT क्या है?

- केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, CENVAT क्रेडिट नियम, 2004 के तहत एक तंत्र है, जो निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ अपने उत्पाद शुल्क या सेवा कर देनदारियों को ऑफसेट करने की अनुमति देता है।
- यह प्रणाली करों के व्यापक प्रभाव को कम करने में सहायता करती है, जिससे कराधान प्रक्रिया में दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
- मुख्य विशेषताएं:**
 - यह उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है।
 - वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के प्रावधान में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत सामान, इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए कर क्रेडिट का दावा किया जा सकता है।
 - यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन या सेवा वितरण के प्रत्येक चरण में केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर का भुगतान किया जाए।

Source: [TH](#)

रेजांग देवा(Rejang Dewa), न्गुसाबा गोरेंग(Ngusaba Goreng) उत्सव का भाग

संदर्भ

- रेजांग देवा, एक पवित्र बाली नृत्य, न्गुसाबा गोरेंग उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

परिचय

- न्गुसाबा गोरेंग उत्सव, बाली में भरपूर फ़सल के लिए दो सप्ताह तक मनाया जाने वाला धन्यवाद समारोह।
- रेजांग शब्द का अर्थ है "अर्पण" या "भक्ति", जबकि देवा का अर्थ है हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली दिव्य सत्ताएँ।

- इस उत्सव में मुख्य रूप से युवा लड़कियों और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य शामिल होते हैं।

महत्त्व

- **आध्यात्मिक जुड़ाव:** यह त्यौहार मानव, प्रकृति और ईश्वर के बीच अंतर्संबंध में बाली हिंदू विश्वास को पुष्ट करता है।
- **सामाजिक सामंजस्य:** समुदाय-केंद्रित उत्सव के रूप में, यह सामाजिक सद्भाव और सामूहिक पहचान को बढ़ावा देता है।

Source: [TH](#)

प्रोजेक्ट वीर गाथा(Project Veer Gatha)

संदर्भ

- सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.76 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया है।

प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में

- सरकार ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में 'वीर गाथा' परियोजना शुरू की थी।
- इसे 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल (GAP) के तहत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देशभक्ति और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वीरता पुरस्कार विजेताओं के साहसी कार्यों एवं जीवन की कहानियों को छात्रों के साथ साझा करना है।
- इस पहल के माध्यम से, छात्रों ने इन वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कविताओं, निबंधों, पेंटिंग और वीडियो सहित विभिन्न प्रारूपों में परियोजनाएं बनाई हैं।
- प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के साथ संरेखित, प्रोजेक्ट वीर गाथा ने अपने पहले तीन संस्करणों में बड़ी सफलता देखी है।
- प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 के तहत, 100 विजेताओं का चयन किया जाएगा और आगामी गणतंत्र दिवस के दौरान शिक्षा मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से उनका सम्मान किया जाएगा।
- प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

Source: [PIB](#)

अर्जेटीना पेरिस समझौते से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है

संदर्भ

- अर्जेटीना पेरिस समझौते से हटने पर विचार कर रहा है।

परिचय

- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 28 में किसी देश के संधि से हटने की प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित की गई है।
 - किसी पक्ष के लिए यह समझौता लागू होने की तिथि से तीन वर्ष बाद किसी भी समय, वह पक्ष लिखित अधिसूचना देकर इस समझौते से हट सकता है।
 - यदि अर्जेटीना हटने का निर्णय लेता है, तो उसे संयुक्त राष्ट्र को सूचित करना होगा और एक वर्ष तक समझौते में बना रहना होगा।
- अर्जेटीना दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व में ग्रीनहाउस गैसों का 24वां सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
 - इसमें महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन संसाधन और निर्यात शामिल हैं, जिसमें शेल गैस (प्राकृतिक गैस का एक प्रकार) का दूसरा सबसे बड़ा भंडार और विश्व भर में शेल तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार है।

पेरिस समझौता

- यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के COP21 में अपनाया गया था।
- इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, साथ ही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है।
- पेरिस समझौता राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) पर बल देता है और सभी देशों को जलवायु कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
 - देशों को अपने प्रयासों को बढ़ाने और समय के साथ महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में अपने NDC की समीक्षा एवं अद्यतन करना चाहिए।

Source: IE

अष्टमुडी झील(Ashtamudi Lake?)

संदर्भ

- अष्टमुडी झील में हाल ही में हुई मछलियों की मृत्यु की घटना ने एक बार फिर झील में बढ़ते प्रदूषण को उजागर कर दिया है।

परिचय

- यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित है।
- झील को प्रमुख नदी कल्लदा से पानी मिलता है।

- "अष्टमुडी" नाम का मलयालम में अर्थ है "आठ शंकु" जो झील के आकार को दर्शाता है, जो आठ छोटी नहरों के समूह जैसा दिखता है।
- झील अष्टमुडी मुहाना के माध्यम से अरब सागर से जुड़ी हुई है।
- यह अष्टमुडी वेटलैंड का भाग है, जो एक रामसर वेटलैंड साइट है, जिसे 2002 में इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए मान्यता दी गई थी।
- अष्टमुडी झील प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करती है।
 - संरक्षण पहलों के माध्यम से इसके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Source: TH

